

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 (Road) 2018/FCA/PCCF/ CCFEDS -I Jaipur dated 17.5.2019

Executive Engineer, PWD Bari Dholpur के द्वारा धौलपुर जिले के वन मंडल धौलपुर में "Construction of BT Road From Sirmathura Jhiri Road km 9 to Mallpura Village, Tehsil-Baseri, District-Dholpur (Rajasthan)". under RRSMP scheme funded by the World bank के निर्माण कार्य हेतु 1.08 है0 वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/15972/2015 पर दिनांक 10.10.2015 को रजिस्टर किया गया है।

इस कार्यालय से पूर्व में 0.72 है0 वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव भिजवाये गये है उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव संशोधित कर 1.08 है0 के मुख्य वन संरक्षक ~~बीकानेर~~ ^{धौलपुर} द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III भिजवाये गये है। प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-III में अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम रामजी सोनकर है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में आवेदक राकेश वर्मा अंकित है अपेक्षित संशोधन प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b में संलग्न KML file में चौड़ाई में एक रूपता नहीं है संलग्न पॉलीगन का क्षेत्रफल 1.0769 है0 (प्रस्तावित 1.08 है0 से कम) है। एरिया केलकुलेशन में प्रस्तावित लम्बाई की चौड़ाई एक है अतः तदनुसार KML file संशोधित किया जाकर संशोधित GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है। KML file & DGPS map में कोई समानता नहीं है। KML file में वन सीमा भी अंकित नहीं की गई है। प्रस्तावित वन भूमि के चेनऐज अंकित नहीं किये गये है।
3. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में विकल्प एवं उनका विवरण संलग्न किये गये है। किन्तु उसमें प्रभावित वन क्षेत्र एवं उनकी CD संलग्न नहीं की गई है।
4. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है। वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में संलग्न गैर वन भूमि के विवरण में KML file के पॉलीगन में क्षेत्र 1.0957 है0 आता है जो प्रस्तावित वन क्षेत्र से ज्यादा है। संशोधित KML file, GT Sheet & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
6. यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो एरिया केलकुलेशन शीट (1.08 है0 एवं 0.72 है0) संलग्न है प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
7. यूजर ऐजेन्सी द्वारा ऑनलाईन दो बार चार्ट (1.08 है0 एवं 0.72 है0) संलग्न है प्रस्तावित वन क्षेत्र के अनुसार संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में हार्ड प्रति में संलग्न वचनवद्धताएँ ऑनलाईन प्रस्ताव से भिन्न है दोनो में एकरूपता रखा जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त वचनवद्धताओ में प्रस्ताव संख्या, प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण, दिनांक संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि का जी0टी0शीट पर अंकन किया हुआ है जिसमें उक्त क्षेत्र वन सीमा के अंतर्गत आता है जबकि उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त क्षेत्र वनखण्ड की सीमा में नहीं है अतः वन सीमा को संशोधित करते हुए जी0टी0शीट पर अंकन किया जावे।

10. उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अंकित किया गया है किन्तु पार्ट II के बिन्दु संख्या 11 में नहीं होना अंकित है। ऑनलाईन संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के संबंध में भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.1.2018 के अनुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट संलग्न करे।
11. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना 528531.00 की संलग्न की गई है जो स्वीकृत मॉडल (164100.00 प्रति है0) से अधिक है मॉडल से राशि अधिक लिए जाने की टिप्पणी एवं योजना मुख्य वन संरक्षक भरतपुर से अनुमोदित करा संलग्न करे।
12. गजट नोटिफिकेशन की प्रति ऑनलाईन नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक भरतपुर से ली जानी प्रस्तावित है।

17/5/19
(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR